

**द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2019-20 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश**

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/ डी0एल0एड0- 2019-20(1)/विज्ञप्ति/1164-67/2021, दिनांक 26.02.2021 द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019-20 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 26 फरवरी, 2021 को घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के डायट में प्रवेश के उपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर प्रतीक्षा सूची उत्तराखण्ड, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. को उपलब्ध कराई गई है। प्रतीक्षा सूची नितान्त औपबन्धिक है। सफल अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त वाँछनीय अहर्ताएँ पूर्ण करते हों। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् हैं-

1. परीक्षा में सफल अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों को जांच समिति के सम्मुख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	अभिलेख
1	1. हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र । 2. हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र । 3. इण्टर परीक्षा का अंकपत्र । 4. इण्टर परीक्षा का प्रमाणपत्र । 5. स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा के अंकपत्र । 6. स्नातक परीक्षा का प्रमाणपत्र ।
2	1. SC/ST/OBC/EWS के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र ।
3	1. DFF/PH/Ex.Sol के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ।
4	3. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति-2/337- 56/2019-20 दिनांक 06 जनवरी 2020 के बिन्दु संख्या 7 (क) एवं विवरणिका के अनुसार वाँछनीय प्रमाणपत्र । (क) स्थाई निवास अथवा मूल निवास । (ख) नियोक्ता द्वारा जारी (अभिभावक/स्वयं का) सेवा/कार्यरत होने का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न है)
5	1. डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेशपत्र । 2. आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध आई0डी0 ।
6	1. दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ओ0एम0आर0 शीट पर की गई समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाणपत्र एवं अभिलेखों से किया जाएगा ।
3. राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की श्रेणी के सम्बन्ध में की गयी अर्हताओं के मिलान पर यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसे निदेशक, महोदय की अध्यक्षता में समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

pp-  
श्री.  
Sp

4. ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकना अथवा विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
5. काउंसिलिंग के समय पाये जाने वाले विसंगति प्रकरणों की जाँच शासनादेश संख्या/433/XXIV(1)/2019-02/2018 दिनांक 16 अगस्त 2019 के बिन्दु संख्या 07 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
6. काउंसिलिंग प्रक्रिया लगभग 06 कार्यदिवसों में सम्पन्न होगी, जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में उपस्थित नहीं होंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा एवं इसमें उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
7. काउंसिलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से, उत्तराखण्ड की 13 डायट्स की सीटों हेतु, वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता के अनुरूप, विकल्प पत्र भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता में गृह जनपद को भरेंगे।
8. समस्त स्थानों/सीटों हेतु श्रेणीवार, वर्गवार काउंसिलिंग किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गये विकल्प पत्र में उल्लेखित वरीयता क्रम एवं श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर प्रशिक्षण हेतु सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।

काउंसिलिंग हेतु समय-सारिणी – दिनांक 08 मार्च, 2022 से 15 मार्च, 2022

क्र० सं०	दिनांक	दिवस	वर्ग	उपवर्ग	श्रेणी	संख्या	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	08.03.2022	मंगलवार	विज्ञानेत्तर वर्ग	अंग्रेजी मुख्य विषय से स्नातक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य</li> <li>• अनु.जाति</li> <li>• अनु.जन.जाति</li> <li>• अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग</li> </ul>	09 05 01 02 02	19
				हिन्दी मुख्य विषय के साथ स्नातक एवं इण्टर स्तर पर संस्कृत	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य</li> <li>• अनु.जाति</li> <li>• अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग</li> </ul>	18 08 02 03	
2.	09.03.2022	बुधवार		अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक	• सामान्य	53	53
3.	10.03.2022	वृहस्पतिवार		अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अनु.जाति</li> <li>• अनु.जन.जाति</li> <li>• अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग</li> </ul>	19 04 12 09	44
4.	11.03.2022	शुक्रवार	विज्ञान वर्ग	भौतिक एवं गणित विषयों से स्नातक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य</li> <li>• अनु.जाति</li> <li>• अनु.जन.जाति</li> <li>• अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग</li> </ul>	27 10 04 08 08	57
				रसावि०, जन्तु वि० एवं	• सामान्य	22	
5.	14.03.2022	सोमवार					

ea

अ/र

8

			वनस्पति विज्ञान विषयों से स्नातक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अनु.जाति</li> <li>• अनु.जन.जाति</li> <li>• अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग</li> </ul>	08 03 09 03	
6.	15.03.2022	मंगलवार	विज्ञान वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य</li> <li>• अनु.जाति</li> <li>• अनु.जन.जाति</li> <li>• अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>• आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग</li> </ul>	15 07 02 04 04	32

उपरोक्त तालिका उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के पत्र संख्या : 30वि0शि0प0/डी.एल.एड.-प्र0प0(1)/164-167/2021-22, दिनांक 21 फरवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर तैयार की गई है। राज्य स्तरीय काउंसिलिंग का आयोजन एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, तपोवन रोड़, नालापानी, देहरादून में उपरोक्त/संलग्न तालिका के अनुसार प्रस्तावित है। तालिका के स्तम्भ संख्या-4, 5, एवं 6 में वर्ग, उपवर्ग, श्रेणीवार अंकित अभ्यर्थी स्तम्भ संख्या-02 एवं 03 में अंकित तिथियों के अनुसार काउंसिलिंग प्रक्रिया में वांछित समस्त मूल प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को इन प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित एक-एक छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम फोटोग्राफ भी, अनिवार्य रूप से, काउंसिलिंग के समय समिति को उपलब्ध करानी होगी।

**काउंसिलिंग में आने से पूर्व सफल अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि-**

1. 01 जुलाई 2020 को उनकी आयु 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई 1990 से पूर्व एवं 01 जुलाई 2001 के बाद की न हो। भूतपूर्व सैनिकों एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
2. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (06 जनवरी 2020) से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित (चयनित उपवर्ग के अनुसार निर्धारित विषय/विषयों) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो।
3. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 59/XXX-2/19/01(17)/2012, दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन नियमावली 2019) के द्वारा संशोधित नियम-4, उपनियम (2) "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो (इस परीक्षा हेतु जारी 'प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019-20: सूचना विवरणिका' (2 Year DELED Entrance Exam) 2019-20 : INFORMATION BROCHURE के बिन्दु संख्या-2 'क' के अनुसार)

*ee*

*alr*

*bp*

4. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो।
5. क्षैतिज श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में—
  - स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी (DFF) में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र हो, जिससे उनके स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने की पुष्टि हो सके।
  - दिव्यांगता (PH) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता (40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र हो।
  - भूतपूर्व सैनिक- स्वयं (Ex. Sol. Self) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अभिलेख (कमांडिंग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हो, जिससे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हों। विज्ञ हों कि इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है, उनके आश्रितों को नहीं।
6. उर्ध्वाधर (Vertical), तथा क्षैतिज (Horizontal) दोनों आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
7. कोविड-19 के दृष्टिगत निम्न निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है—
  - काउंसिलिंग कक्ष में मात्र अभ्यर्थी ही जा सकेंगे।
  - बिना मास्क के अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा।
  - प्रत्येक अभ्यर्थी अपना स्वयं का सेनिटाइजर भी रखेगा/रखेगी।
  - सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  - अभ्यर्थी काउंसिलिंग स्थल के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे, साथ ही कोविड-19 की गाईडलाइन का पालन करेंगे।
  - काउंसिलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
  - द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण से संबंधित शासनादेश विज्ञप्ति एवं विवरणिका को परिशिष्ट-1 में संलग्न किया गया है।
  - काउंसिलिंग के सम्बन्ध में अभ्यर्थी किसी भी सूचना हेतु निम्न मोबाइल नं० पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मोबाइल नं०- 8126041154, 7248580557, 8077436997

अपर निदेशक  
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड  
देहरादून